

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
ओटीदेवी पत्नी पनाराम जाति जणवा
निवासी सेवाडी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/641
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15/10/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा 1646, 1651 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 13.94 रूपये, खसरा नंबर 1144/1, 1157/1 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 6.56 रूपये, खसरा नंबर 1256/1 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गै.मु. कजाव, खसरा नंबर 1256/1 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गै.मु. कजावा, खसरा नंबर 1144/1, 1157/1, 1646/1 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.21 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 8.61 रूपये, खसरा नंबर 1646/2, 1651 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.27 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 11.07 रूपये, खसरा नंबर 1646, 1646/3 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.02 हैक्टर कुल लगान 0.82 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेवाडी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाक्का दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण
ओटीदेवी पत्नी पनाराम जाति जणवा
निवासी सेवाडी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 641
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकांर सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा 1646, 1651 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 13.94 रूपये, खसरा नंबर 1144/1, 1157/1 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 6.56 रूपये, खसरा नंबर 1256/1 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गै.मु. कजाव, खसरा नंबर 1256/1 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गै.मु. कजावा, खसरा नंबर 1144/1, 1157/1, 1646/1 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.21 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 8.61 रूपये, खसरा नंबर 1646/2, 1651 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.27 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 11.07 रूपये, खसरा नंबर 1646, 1646/3 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.02 हैक्टर कुल लगान 0.82 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, सेवाडी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/10/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्णोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

